



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032026-271110
CG-DL-E-21032026-271110

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2026/फाल्गुन 28, 1947

No. 191]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2026/PHALGUNA 28, 1947

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(नौवहन महानिदेशालय, मुंबई)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2026

सा.का.नि. 197(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नौवहन महानिदेशालय, उपमहानिदेशक नौवहन, समूह, 'क' (अतकनीकी पद) भर्ती नियम, 2018को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालयमें नौवहन महानिदेशालय, उपमहानिदेशक नौवहन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, नौवहन महानिदेशालय, उपमहानिदेशक, नौवहन समूह 'क'पद भर्ती नियम, 2026 है।
- ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता एँ, आदि -उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखाबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप महानिदेशक, नौवहन	6* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800 - 209200 रूपये)	चयन पद	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति:
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	i. पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होसकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित); और ii. पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
<p>प्रोन्नति:</p> <p>वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700रु.) जिन्होंने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण – जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्षों से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी करली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था के अधिकारी, -</p> <p>(क)(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पदों पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष ग्रेड में सेवाकी हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव हो, अर्थात्:-</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री; और</p> <p>(ii) प्रशासन या स्थापना या लेखा संबंधी मामलों में दस वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1 – पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 – प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) शामिल है, साधारणतया चार वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष; 2. नौवहन महानिदेशक- सदस्य; 3. संयुक्त सचिव (नौवहन), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय-सदस्य; 4. नौवहन अपर महानिदेशक, मुंबई- सदस्य 	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

[फा.सं. एसवाई-11016/14/2024-एमए-पार्ट(4) (378300)]

राजेश कुमार सिन्हा, विशेष सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**(Directorate General of Shipping, Mumbai)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th March, 2026

G.S.R. 197(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General of Shipping, Deputy Director General of Shipping Group 'A' (Non-Technical Post) Recruitment Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director General of Shipping in the Directorate General of Shipping, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Directorate General of Shipping, Deputy Director General of Shipping (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of post, classification and level in the pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. Disqualification. – No person,-
 - a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Director General of Shipping.	6* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs. 78800 – 209200).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
--	---	------------------------------	--

	will apply in the case of promotees.		
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	<p>i. Fifty percent by promotion, failing which by deputation (including short-term contract); and</p> <p>ii. Fifty percent by deputation (including short-term contract).</p>

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
<p>Promotion :</p> <p>Assistant Director General of Shipping in level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700) with five years regular service in the grade and having successfully completed at least two weeks mandatory training as specified by the competent authority.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their junior who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short-term contract):</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organization or public sectors undertaking or recognized University or recognized research institution, -</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment to the posts on a regular basis in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-</p> <p>(i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; and</p> <p>(ii) ten years experience in administration or establishment or accounts matters.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman;</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.</p>

<ol style="list-style-type: none">2. Director General of Shipping – Member;3. Joint Secretary (Shipping), Ministry of Ports, Shipping and Waterways – Member;4. Additional Director General of Shipping, Mumbai – Member.	
---	--

[F. No. SY-11016/14/2024-MA-Part(4) (378300)]

RAJESH KUMAR SINHA, Special Secy.